

अनुदान संख्या 58 – उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 58 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	52058,84,00	52058,90,00	34831,64,48	-17227,25,52
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1278,48,54
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-		2120,00,00	2104,98,86	-15,01,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
(लाख रुपयों में)

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	11382.00	11881.00	10025.43	-1855.57
पु.	R.	499.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2202” सामान्य शिक्षा	Major Head “2202” General Education			
मू.	O. 2494484.00	2641846.07	1675318.48	-966527.59
पू.	S. 2.00			
पु.	R. 147360.07			
मुख्य शीर्ष “2203” तकनीकी शिक्षा	Major Head “2203” Technical Education			
मू.	O. 2037723.00	2117252.38	1491254.69	-625997.69
पू.	S. 2.00			
पु.	R. 79527.38			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O. 286295.00	496.10	..	-496.10
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -285800.90			
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants - in - aid to State Governments			
मू.	O. 371000.00	306361.61	306361.58	-0.03
पु.	R. -64638.39			
मुख्य शीर्ष “3602” विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants - in - aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O. 5000.00	204.30	204.30	..
पु.	R. -4795.70			

(I) ₹1875846.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पैसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1871921.20 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(i) “विश्वविद्यालयों को सहायता – केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश” – ₹1180.00 लाख – नए विश्वविद्यालय स्थापना होने के कारण।

(ii) “आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण” –

(1) “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां” – ₹688000.00 लाख – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) “राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां” – ₹274627.00 लाख – वित्त मंत्रालय के निर्देशन के तहत निधियों को जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “सामान्य” –

(i) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति अनुसंधान (इम्प्रेस)” – ₹1245.00 लाख; और

(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति अनुसंधान (इम्प्रेस)” – ₹645.00 लाख।

(I) Provision of ₹1875846.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under sixty five heads; of these ₹1871921.20 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head “2202”

(a) “University and Higher Education” -

(i) “Assistance to Universities- Central University, Andhra Pradesh” - ₹1180.00 lakhs - due to university being newly established.

(ii) “Transfer to Reserve Fund/Deposit Account” -

(1) “Funds for Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh” - ₹688000.00 lakhs - due to non-finalization of accounting procedure of Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh.

(2) “Funds for Transfer to National Investment Fund (NIF)” - ₹274627.00 lakhs - due to non-operation of fund as per directions of Ministry of Finance.

(b) “General” -

(i) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)” - ₹1245.00 lakhs; and

(ii) “Tribal Area Sub-Plan - Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)” - ₹645.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to scheme being in initial stage of implementation.

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” – “आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण” –

(B) Major Head “2203” - “Transfer to Reserve Fund/Deposit Account” -

(क) “राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां” – ₹371653.00 लाख – वित्त मंत्रालय के निर्देशन के तहत निधियों को जारी न किए जाने के कारण हुई।

(a) “Funds for Transfer to National Investment Fund (NIF)” - ₹371653.00 lakhs - due to non-operation of the fund as per directions of Ministry of Finance.

(ख) “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को निधि के लिए अंतरण” – ₹251903.00 लाख – माध्यमिक और शिक्षा कोष की लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(b) “Funds for Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh” - ₹251903.00 lakhs - due to non-finalization of accounting procedure of Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh.

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(C) Major Head “2552”

(क) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(a) “University and Higher Education - Assistance to Universities” -

(i) “इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1150.00 लाख;

(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1150.00 lakhs;

(ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹21810.00 लाख;

(ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹21810.00 lakhs;

(iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹20915.00 लाख;

(iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan” - ₹20915.00 lakhs;

(iv) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹84676.00 लाख (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) “Grants to Central Universities” - ₹84676.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019);

(ख) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय” –

(b) “University and Higher Education- Other Expenditure” -

- | | |
|--|---|
| (i) “राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन” – ₹970.00 लाख; | (i) “National Mission on Teachers and Teaching” - ₹970.00 lakhs; |
| (ii) “विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता” – ₹900.00 लाख; | (ii) “Student Financial Aid” - ₹900.00 lakhs; |
| (ग) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹3360.00 लाख; | (c) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Grants for Promotion of Indian Languages”- ₹3360.00 lakhs; |
| (घ) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान” – | (d) “Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes”- |
| (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹38665.00 लाख; | (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹38665.00 lakhs; |
| (ii) “अखिल भारतीय तकनीकी परिषद” – ₹3125.00 लाख; | (ii) “All India Council for Technical Education (AICTE)” - ₹3125.00 lakhs; |
| (iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹16259.00 लाख; | (iii) “Assistance to other institutions”- ₹16259.00 lakhs; |
| (iv) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹900.00 लाख; | (iv) “Indian Institutes of Information Technology” - ₹900.00 lakhs; |
| (v) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹55864.00 लाख (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) | (v) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹55864.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020); |
| (ङ) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹2620.00 लाख; | (e) “General (General Education)- Other Expenditure- Digital India e-learning” - ₹2620.00 lakhs; |
| (च) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – | (f) “Special Component Plan for Scheduled Castes”- |
| (i) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1309.50 लाख; | (i) “Assistance to other institutions”- ₹1309.50 lakhs; |

- (ii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹5602.00 लाख;
- (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹3780.00 लाख;
- (iv) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹1480.00 लाख;
- (v) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹5835.00 लाख; और
- (vi) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2600.00 लाख।

उपर्युक्त उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (vii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹540.00 लाख – प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(छ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1268.00 लाख;
- (ii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹2713.00 लाख;
- (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹1810.00 लाख;
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹556.70 लाख;

- (ii) “Grants to Central Universities”- ₹5602.00 lakhs;
- (iii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹3780.00 lakhs;
- (iv) “University Grants Commission (UGC)” - ₹1480.00 lakhs;
- (v) “National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹5835.00 lakhs; and
- (vi) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹2600.00 lakhs.

Provisions under the above nineteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (vii) “Digital India e-learning” - ₹540.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(g) “Tribal Area Sub Plan” -

- (i) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹1268.00 lakhs;
- (ii) “Grants to Central Universities”- ₹2713.00 lakhs;
- (iii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹1810.00 lakhs;
- (iv) “Assistance to other institutions”- ₹556.70 lakhs;

(v) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹710.00 लाख; और

(vi) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹3250.00 लाख।

(v) “University Grants Commission (UGC)” - ₹710.00 lakhs; and

(vi) “National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹3250.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – उच्च शिक्षा विभाग” – ₹1356.57 लाख की बचत (₹11382.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और विज्ञापन और प्रकाशन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat-Department of Higher Education” - saving of ₹1356.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11382.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and receipt of less proposals towards advertising and publication.

(III) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “2202”- savings occurred under the following heads:

(का) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(A) “University and Higher Education” -

(क) “विश्वविद्यालय को सहायता” –

(a) “Assistance to Universities” -

(i) “इग्नू तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1380.00 लाख की बचत (₹10860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी द्वारा ऋण की अदायगी के लिए कोई मांग न होने के कारण हुई।

(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - saving of ₹1380.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10860.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the institute and no demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan.

(ii) “आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजाति विश्वविद्यालय” – ₹668.50 लाख की बचत (₹725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना न होने और उच्च शिक्षा वित्तीय

(ii) “Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities” - saving of ₹668.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹725.00 lakhs) was due to non establishment of Tribal

एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कोई मांग न होने के कारण हुई।

University and no demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan.

(iii) “उच्च शिक्षा” – ₹7739.76 लाख की बचत (₹63771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, संस्थानों के चयन में विलंब होने और योजना चालू होने के कारण हुई।

(iii) “Higher Education” - saving of ₹7739.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63771.00 lakhs) was due to non receipt of utilization certificates from the institutes, delay in selection of institutes and scheme yet to take off.

(iv) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1876.72 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से और आरयूएसए स्रोत केंद्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iv) “National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan” - saving of ₹1876.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from Union Territories Governments and RUSA Resource Centers.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “उच्च शिक्षा” – ₹3348.09 लाख की बचत (₹9091.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, संस्थानों के चयन में विलंब होने और स्कीम के चालू न होने के कारण हुई।

(i) “Higher Education” - saving of ₹3348.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9091.00 lakhs) was due to non receipt of utilization certificates from the institutes, delay in selection of institutes and non-taking off of the scheme.

(ii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹589.50 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(ii) “National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan” - saving of ₹589.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – उच्च शिक्षा” – ₹1847.87 लाख की बचत (₹4668.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से उपयोग

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Higher Education”- saving of ₹1847.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4668.00 lakhs)

प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, संस्थानों के चयन में विलंब और स्कीम के चालू न के जाने के कारण हुई।

(घ) “अन्य व्यय – राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षण मिशन” – ₹2356.52 लाख की बचत (₹8750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “भाषा विकास – निदेशन और प्रशासन – अन्य स्कीमें” – ₹1659.68 लाख की बचत (₹2163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठन से पत्राचार पाठ्यक्रम, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और हिन्दी के क्षेत्र में प्रकाशन के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) “सामान्य” –

(क) “अनुसंधान” –

(i) “मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹4492.51 लाख की बचत (₹21900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना” – ₹3740.00 लाख की बचत (₹9724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iii) “सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण अनुसंधान नीति” – ₹3735.00 लाख की बचत (₹5610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

was due to non receipt of utilization certificates from the institutes, delay in selection of institutes and non-taking off of the scheme.

(d) “Other Expenditure - National Mission on Teachers and Teaching” - saving of ₹2356.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8750.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the institutes.

(B) “Language Development - Direction and Administration - Other Schemes” - saving of ₹1659.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2163.00 lakhs) was due to less receipt of proposals for correspondence courses from voluntary organizations, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and publications in the field of Hindi.

(C) “General”-

(a) “Research”-

(i) “National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences” - saving of ₹4492.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21900.00 lakhs); and

(ii) “Scheme for Promotion of Academic and Research in Collaboration (SPARC)” - saving of ₹3740.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9724.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from institutes.

(iii) “Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)” - saving of ₹3735.00 lakhs (against the sanctioned

स्कीम के प्रारंभिक चरण में होने की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

provision of ₹5610.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to the scheme being in initial stage.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “विद्यार्थी वित्तीय सहायता” – ₹16393.04 लाख की बचत (₹29810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) “Student Financial Aid” - saving of ₹16393.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29810.00 lakhs) was due to less receipt of claims.

(ii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹1619.75 लाख की बचत (₹8810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “Digital India e-Learning” - saving of ₹1619.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8810.00 lakhs); and

(iii) “अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना” – ₹830.00 लाख की बचत (₹2158.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(iii) “Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)” - saving of ₹830.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2158.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals.

(iv) “भारत में अध्ययन” – ₹750.50 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iv) “Study in India” - saving of ₹750.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from the implementing agencies.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(c) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “विद्यार्थी वित्तीय सहायता” – ₹10929.90 लाख की बचत (₹15210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) “Student Financial Aid” - saving of ₹10929.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15210.00 lakhs) was due to less receipt of claims.

(ii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹787.58 लाख की बचत (₹4570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “Digital India e-Learning” - saving of ₹787.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4570.00 lakhs); and

(घ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – योजना, प्रशासन और वैश्विक जुड़ाव” – ₹1839.86 लाख की बचत (₹5909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ङ) “अन्य व्यय” –

(i) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹6284.89 लाख की बचत (₹41070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कम मांग होने के कारण हुई।

(ii) “भारत में अध्ययन” – ₹3770.20 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2203” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रशिक्षण – प्रशिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका के लिए कार्यक्रम” – ₹587.80 लाख की बचत (₹12950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम वृत्तिका के दावों की प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवाचार” – ₹18876.39 लाख की बचत (₹30204.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) “छात्रवृत्ति – विद्यार्थी वित्तीय सहायता” – ₹1543.26 लाख की बचत (₹3510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएमआरएफ के अंतर्गत विद्यार्थियों की कम संख्या

(d) “International Co-operation- Planning, Administration & Global Engagement” - saving of ₹1839.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5909.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals.

(e) “Other Expenditure” -

(i) “Digital India e-Learning” - saving of ₹6284.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41070.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from implementing agencies and less demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan.

(ii) “Study in India” - saving of ₹3770.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from implementing agencies.

(IV) Under Major Head “2203”- savings occurred under the following heads:

(A) “Training- Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends” - saving of ₹587.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12950.00 lakhs) was due to less stipend claims and economy measures.

(B) “Research- Research and Innovation”- saving of ₹18876.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30204.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from institutes.

(C) “Scholarships - Student Financial Aid”- saving of ₹1543.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3510.00 lakhs) was due to selection of

में चयन होने और संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घा) “इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान” –

(क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹3572.69 लाख की बचत (₹32865.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईआईआईटी की परियोजनाओं को बंद किए जाने की वजह से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) “भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹10386.76 लाख की बचत (₹81522.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कोई मांग नहीं होने के कारण हुई।

(ग) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” – ₹16845.00 लाख की बचत (₹25952.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ङ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹3679.00 लाख की बचत (₹6708.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) “योजना वास्तुकला विद्यालय” – ₹1195.00 लाख की बचत (₹1830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

less number of students under PMRF and less receipt of proposals from the institutions.

(D) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

(a) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - saving of ₹3572.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32865.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals owing to closure of projects of IIITs.

(b) “Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)”- saving of ₹10386.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81522.00 lakhs) was due to no demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan.

(c) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹16845.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25952.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and no demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan from institutes.

(E) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Research and Innovation” - saving of ₹3679.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6708.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from the institutes.

(b) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹1195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1830.00 lakhs); and

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” – ₹530.00 लाख की बचत (₹918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संस्थानों से उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कोई मांग न होने के कारण हुई।

(ख) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹1998.57 लाख की बचत (₹3475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और संस्थानों से उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी ऋण की अदायगी के लिए कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(छा) “अन्य व्यय – अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल” – ₹1400.00 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल संस्थानों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹31520.34 लाख की बचत (₹119300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ₹8241.09 लाख की बचत (₹33600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(F) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹918.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to no demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan from institutes.

(b) “Research and Innovation” - saving of ₹1998.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3475.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and less demand for repayment of Higher Education Financing Agency loan from institutes.

(G) “Other Expenditure- Global Initiative for Academic Network (GIAN)” - saving of ₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from the nodal institutions.

(V) Under Major Head “3601”- savings occurred under the following heads:

(A) “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share- National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- saving of ₹31520.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119300.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹8241.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33600.00 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹4876.99 लाख की बचत (₹18100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹4876.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18100.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलंब होने और राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to delay in receipt of utilization certificates and less receipt of viable proposals from states.

(खा) “अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान” –

(B) “Other Transfer/ Grants to States”-

(क) “विशेष सहायता – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹18200.00 लाख की बचत (₹146000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) “Special Assistance- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹18200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹146000.00 lakhs);

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹1200.00 लाख की बचत (₹36000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36000.00 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹600.00 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to delay in receipt of reimbursement claims from the State Governments.

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head “3602”- “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(A) “Central Assistance/Share”-

(क) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹3356.99 लाख की बचत (₹3500.00

(a) “National Education Mission: Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA)” -

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹939.14 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

saving of ₹3356.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹939.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from Union Territory Governments.

(VII) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹3454.44 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under nine heads savings of ₹3454.44 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹366271.07 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹366271.07 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(A) Major Head “2202” -

(क) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा” –

(a) “University and Higher Education” -

(i) “विश्वविद्यालय को सहायता” –

(i) “Assistance to Universities” -

(1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹3232.96 लाख।

(1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹3232.96 lakhs.

(2) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹513.22 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹513.20 लाख था।

(2) “Assistance to Other Institutions” - ₹513.22 lakhs. Actual excess, however, was ₹513.20 lakhs.

(3) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹179006.89 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹179006.57 लाख था।

(3) “Grants to Central Universities” - ₹179006.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹179006.57 lakhs.

- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹3027.20 लाख।
- (2) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹19825.29 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹19824.99 लाख था।
- (iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹1231.20 लाख।
- (2) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹8701.44 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹8701.04 लाख था।
- (ख) “भाषा विकास” –
- (i) “आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹4090.33 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4090.32 लाख था।
- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹332.62 लाख था।
- (ग) “सामान्य – छात्रवृत्ति – छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹6920.70 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6891.51 लाख था।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2203” –
- (क) “प्रशिक्षण – राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान तकनीकी संस्थान” – ₹2677.50 लाख।
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹3027.20 lakhs.
- (2) “Grants to Central Universities” - ₹19825.29 lakhs. Actual excess, however, was ₹19824.99 lakhs.
- (iii) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹1231.10 lakhs.
- (2) “Grants to Central Universities” - ₹8701.44 lakhs. Actual excess, however, was ₹8701.04 lakhs.
- (b) “Language Development” -
- (i) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian languages” - ₹4090.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹4090.32 lakhs.
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants for Promotion of Indian languages” - ₹332.62 lakhs.
- (c) “General - Scholarships - Student Financial Aid” - ₹6920.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹6891.51 lakhs.
- (B) Major Head “2203” -
- (a) “Training - National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs) ₹2677.50 lakhs.

(ख) “इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान” –

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹57800.15 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹55839.14 लाख था।
- (ii) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई” – ₹2024.67 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2024.66 लाख था।
- (iii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹10730.00 लाख।
- (iv) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹2896.94 लाख।
- (v) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹16281.79 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹16281.78 लाख था।
- (vi) “भारतीय वैज्ञानिक संस्था को समर्थन” – ₹2306.77 लाख।
- (vii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएएसटी को समर्थन” – ₹24308.59 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹24308.58 लाख था।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹3817.85 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3624.03 लाख था।
- (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹760.85 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹760.84 लाख था।

(b) “Engineering, Technical Colleges and Institutes” -

- (i) “Indian Institute of Technology (IITs)” - ₹57800.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹55839.14 lakhs.
- (ii) “National Institute of Industrial Engineering, Mumbai” - ₹2024.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹2024.66 lakhs.
- (iii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹10730.00 lakhs.
- (iv) “Indian Institutes of Management (IIMs)” - ₹2896.94 lakhs.
- (v) “Assistance to other Institutions” - ₹16281.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹16281.78 lakhs.
- (vi) “Support to Indian Institute of Science (IISc)” - ₹2306.77 lakhs.
- (vii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹24308.59 lakhs. Actual excess, however, was ₹24308.58 lakhs.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹3817.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹3624.03 lakhs.
- (ii) “Indian Institutes of Management” - ₹760.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹760.84 lakhs.

(iii) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई” – ₹439.46 लाख।

(iv) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹2860.00 लाख।

(v) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1277.76 लाख।

(vi) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹4584.70 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4584.69 लाख था।

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(i) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1744.21 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1665.21 लाख था।

(ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹418.35 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹418.34 लाख था।

(iii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹1410.00 लाख।

(iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹535.03 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹535.02 लाख था।

(v) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹2514.70 लाख।

(iii) “National Institute of Industrial Engineering, Mumbai” - ₹439.46 lakhs.

(iv) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹2860.00 lakhs.

(v) “Assistance to other Institutions”- ₹1277.76 lakhs.

(vi) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹4584.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹4584.69 lakhs.

(d) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “Indian Institutes of Technology” - ₹1744.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹1665.21 lakhs.

(ii) “Indian Institutes of Management”- ₹418.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹418.34 lakhs.

(iii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹1410.00 lakhs.

(iv) “Assistance to other Institutions”- ₹535.03 lakhs. Actual excess, however, was ₹535.02 lakhs.

(v) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹2514.70 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2203” – “इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज एवं संस्थान – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1125.00 लाख का अधिक व्यय (₹37975.00 लाख के

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2203” - “Engineering, Technical Colleges and Institutes - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)” - excess of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

₹1125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37975.00 lakhs) due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head
मुख्य शीर्ष “4202” शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4202” Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture

212000.00	210498.86	-1501.14
-----------	-----------	----------

(I) “सामान्य शिक्षा – सामान्य – उच्च शिक्षा विभाग” – ₹1164.85 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित निर्माण की योजना के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under “General Education - General-Department of Higher Education” - saving of ₹1164.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in finalization of plan of the proposed building.

(II) ₹336.29 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थीं।

(II) Under one head saving of ₹336.29 lakhs occurred constituting 67 percent of the sanctioned provision.